XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R: 1544-I-15 ..... जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर, टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 57/पुनर्विकोलन/वर्ष 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03–01–2013 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक कमांक 5 नब्बू बल्द बलू सौर (प्रथम पक्ष) द्वारा अपने भूमि स्वामीत्व की ग्राम अब्दा बम्होरी स्थित भूमि खसरा नंबर 1393/1/2, 1394/2, 1408 लगाया 1411, 1412, 1414, 1415, 1410/2745, 1398, 1418/2, जुज कुल किता रकवा 3.321 हे. भूमि का विक्रय आवेदक कमांक 1 से 4 (द्वितीय पक्ष) के पक्ष में कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा अनुमति लेने के उपरांत किया। तदोपरांत विक्रय की अनुमति वाबत् कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 18.03.2010 में यह कमी पाये जाने पर कि आदेश पारित करते समय यह कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया था कि कितनी कीमत में यह भूमि विक्रय की जावेगी तथा किस व्यक्ति द्वारा क्रय की जावेगी कलेक्टर टीकमगढ़ ने म.प्र.भू.रा.सं. की धारा 51 के तहत प्रकरण में पुनर्विलोकन किये जाने की अनुमति राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर से प्राप्त की गई व आदेश दिनांक 03.01.13 से पूर्व में पारित आदेश दिनांक 18.03.2010. को निरस्त करते हुए अंतरण को शून्यवत घोषित किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई। 4. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव द्वारा निगरानी के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये उन्हे श्रवण किया गया । न्याय हित में समय सीमा मान्य करते हुये प्रकरण का	

XIX(a)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधि आदि के हस्ताक्षर

निराकरण गुण दोषों पर किया जा रहा है ।

5. उन्होंने अपने तर्कों में कहा है कि भूमि स्वामी नब्बू पुत्र बलू सोर द्वारा विधिवत् रूप से अपनी भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति समक्ष प्राधिकारी/कलेक्टर से प्राप्त करने हेतु विधिवत् आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसकी कलेक्टर ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से जांच करवाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया था। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी निवाड़ी द्वारा भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने की अनुशंसा की थी और कलेक्टर ने निर्धारित गाइड लाईन के आधार पर विक्रय करने की अनुमति दी थी। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा बिना किसी आधार के यह निष्कर्ष निकाला गया है के भूमि का पूर्ण प्रतिफल नहीं दिया गया है कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा 18.03.10 को विक्रय की अनुमति देने व तत्पश्चात् निष्पादित विक्रयपत्र में प्रतिफल की कमी की कोई शिकायत विक्रेता नब्बू (प्रथम पक्ष) द्वारा नहीं की गई थी। इस कारण उन्होने पारित आदेश दिनांक 03.01.2013 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है ।

पूर्व कलेक्टर द्वारा तत्समय प्रचलित गाईड लाईन के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी गई थी और तदनुसार ही उसके प्रतिफल का भुगतान किया गया था यदि कलेक्टर द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के नाम से विक्रय की अनुमति दी जाती तो वह व्यक्ति सुविधा एवं शर्तो के अनुसार भूमि क्रय करता और विक्रेता को उसका सही मूल्य नहीं मिलता।

आवेदक की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि भूमि का विक्रय समक्ष अधिकारी की विधिवत् अनुमति प्राप्त करने के बाद किया गया है इसमें किसी प्रकार का कपट पूर्ण संव्यवहार नहीं हुआ है अतएव स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन की कार्यवाही उचित नहीं है। मेरे द्वारा एवं मेरे पूर्व पीठ अधिकारी द्वारा भी इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों का निराकरण करते हुए कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.1.2013 को वैध नहीं माना है । जिनकी विषय वस्तु एक समान होने से इस प्रकरण में भी पारित आदेश दिनांक 3.1.2013

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R.-1544-I-15 .... जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।	
	6. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्को के परिप्रक्ष्य में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 7/अ-21/09-10 आदेश दिनांक 18.3.10 में विवादित भूमि को निर्धारित गाईड लाईन के आधार पर विक्रय करने की अनुमति दी है । विकय उपरांत राजस्व अभिलेख में नामांतरण भी हो चुका है। पूर्व पीठ अधिकारी द्वारा भी निराकृत प्रकरण कमांक 833/ ।।/2013 रामराजा होम्स वि शासन एवं अमित कुमार विरूद्ध रानी बगैरह में आदेश दिनांक 22.1.2014 को पुर्नावलोकन आदेश स्थिर रखते हुए कलेक्टर टीकमगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.1.13 को निरस्त किया है ।	
	7. उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 57/पुर्नविलोकन/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 3.1.2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है फलतः प्रकरण कमांक 7/अ-21/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 18.3.2010 स्थिर रहने से वादग्रस्त भूमि के विकय के आधार पर किया गया अमल यथावत रहेगा ।	
	सदस्य	

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

R-1544-I-15

1. दिग्विजय सिंह 2. सतेन्द्र सिंह,
3. गोबिन्द सिंह 4. वल्देव सिंह सभी पुत्रगण श्री भगत सिंह
5. नब्बू तनय बलू सौंर सभी निवासी जतारा
जिला टीकमगढ म.प्र. ..... आवेदकगण

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन ... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रां. संहिता एवं संशोधन अधिनियम के अंतर्गत

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान कलेक्टर टीकमगढ के प्रकरण कमांक 57/पुनर्विलोकन/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2013 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है।

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नं. 1393/1/2, 1394/2, 1408 लगायत 1411, 1412, 1414, 1415, 1410/2745, 1398, 1418/2 जुज कुल किता रकवा 3.321 हे. भूमि आवेदक कमांक 5 ने आवेदक क. 1 लगायत 4 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से विकय की थी। विकय के पूर्व आवेदक क. 5 द्वारा विधिवत न्यायालय तत्कालीन कलेक्टर द्वारा बिकय की अनुमति प्रकरण क. 07/अ–21/2011–12 में आदेश दिनांक 18.03.2010 को विधिवत अनुमति उपरांत पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बिकय पत्र निष्पादित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश के उपरांत पुनः अवलोकन की अनुमति लेकर पूर्व की अनुमति आदेश को निरस्त कर अंतरण शून्य घोषित किये जाने का विवादित आदेश दिनांक 03.01.2013 पारित किया जिसके विरूद्ध आवेदकगणों द्वारा द्वितीय अपील श्रीमान अपर आयुक्त सागर के समक्ष अधिवक्ता की त्रुटिवश प्रस्तुत करा दी। किन्तु निगरानी प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दिनांक 26.05.2015 को अपील बापिस लेकर यह